निबंधन **संख्या** पी0टी0-40

# बिहार गजट

## बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

**संख्या 24** **पटना, बुधवार, 25 ज्येष्ठ 1944 (श0) / 15 जून 2022 (ई0)**

## विषय-सूची


| | पृष्ठ |
|---|---|
| भाग-1– नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं। | **2-7** |
| भाग-1-क–स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश। | --- |
| भाग-1-ख–मैट्रीकुलेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0-इन-एड0, एम0एस0 और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि। | --- |
| भाग-1-ग–शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि | --- |
| भाग-2–बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि। | --- |
| भाग-3–भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उद्धरण। | --- |
| भाग-4–बिहार अधिनियम | --- |
| भाग-5–बिहार विधान मंडल में पुर:स्थापित विधेयक,उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक। | --- |
| भाग-7–संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है। | --- |
| भाग-8–भारत की संसद में पुर:स्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक। | --- |
| भाग-9–विज्ञापन | --- |
| भाग-9-क–वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं | --- |
| भाग-9-ख–निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि। | **8-9** |
| पूरक | --- |
| पूरक-क | **10-14** |

# भाग–1

## नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।

शिक्षा विभाग

————————

**अधिसूचनाएं**

**9 जून 2022**

सं0 15/ए 2–03/2022–1463––बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग अधिनियम, 2017 (बिहार अधिनियम 21, 2017) की धारा–04 एवं बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग (अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2019 की धारा–03 में प्रदत्त शक्तियों के तहत आयोग में पूर्व से कार्यरत निम्नांकित सदस्यों को पुनः तीन वर्ष के कार्यकाल अथवा 70 वर्ष की आयु पूरी होने (इनमें से जो पहले हो) तक की अवधि के लिए बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के सदस्य के रूप में नामित किया जाता है :–

(i) डा0 उपेन्द्र नाथ वर्मा, प्रोफेसर, रसायनशास्त्र विभाग, मगध विश्वविद्यालय, बोधगया।

(ii) डॉ0 उषा प्रसाद, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, इतिहास विभाग, कॉलेज ऑफ कॉमर्स, आर्ट्स एवं सायंस, पटना।

(iii) श्री उमेश चन्द्र विश्वास, पूर्व विशेष सचिव, निगरानी विभाग (सेवानिवृत)।

इसके साथ ही निम्नांकित व्यक्तियों को तीन वर्ष के कार्यकाल/अथवा 70 वर्ष की आयु पूरी होने (इनमें से जो भी पहले हो) तक के लिए आयोग में नये सदस्य के रूप में नामित किया जाता है :–

(i) श्री सुशील कुमार, बिहार प्रशासनिक सेवा (सेवानिवृत), पिता– स्व0 रघुनाथ प्रसाद ग्राम + पोस्ट– खगडिया, जिला–खगडिया।

(ii) प्रो0 (डॉ0) अनिल कुमार सिन्हा, प्रोफेसर, वनस्पति विज्ञान विभाग, एस0एल0के0 कॉलेज, सीतामढी, बिहार।

प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

इनके वेतन, भत्तें एवं अन्य सेवा शर्त्तें आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के लिए अधिसूचित नियमावली में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप अनुमान्य होगा।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
अरशद फिरोज, उप सचिव।

————————

**9 जून 2022**

सं0 15/ए 2–03/2022–1464––बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग अधिनियम, 2017 (बिहार अधिनियम 21, 2017) की धारा 04 एवं बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग (अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2019 की धारा 3 के तहत विभागीय अधिसूचना संख्या 557 दिनांक 28.02.2019 द्वारा डॉ0 राजवर्धन आज़ाद, ex-Chief & Professor of Ophthalmology, Dr. Rajendra Prasad Centre for Ophthalmic Sciences, All India Institute of Medical Sciences, New Delhi को बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के अध्यक्ष पद पर उक्त अधिसूचना के निर्गत होने की तिथि से तीन वर्षों के कार्यकाल अथवा 72 वर्ष की आयु पूरी होने (इनमें से जो भी पहले हो) तक के लिए नियुक्त किया गया था। कार्यहित में अधिनियम की धारा 4 (2) में अंकित प्रावधानों के तहत विभागीय अधिसूचना संख्या 408 दिनांक 28.02.2022 द्वारा श्री आजाद को इस पद पर दिनांक 30.06.2022 तक की अवधि के लिए पुनर्नियुक्त किया गया है।

2. दिनांक 30.06.2022 को कार्यकाल समाप्ति के उपरांत डॉ0 राजवर्धन आज़ाद को पुनः तीन वर्षों के कार्यकाल अथवा 75 वर्ष की आयु पूरी होने (इनमें से जो भी पहले हो) तक की अवधि के लिए अध्यक्ष के पद पर नामित किया जाता है।

3. उनका वेतन, भत्ते तथा अन्य सेवा शर्त्तें बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग (अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति एवं सेवा शर्त्तें) नियमावली, 2019 के प्रावधानों के अनुसार यथावत् बनी रहेंगी।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
अरशद फिरोज, उप सचिव।

## पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

### अधिसूचनाएं

**6 जून 2022**

सं0 वन भूमि–45/2017–**427(ई०)**/प०व०ज०प०––रोहतास जिलान्तर्गत रोहतास फोर्ट पर रज्जू पथ के निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत् 1.33 हे० वन भूमि का अपयोजन किया गया है। इस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत क्षतिपूरक वनीकरण हेतु आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना के आदेश–सह–ज्ञापांक–1618 दिनांक–17.12.2016 द्वारा रोहतास जिला के अंचल रोहतास, मौजा रोहतास, थाना नं०–680, खाता संख्या–206, खेसरा संख्या–01, की कुल–1.33 हे० निर्विवादित अनावाद बिहार सरकार किस्म जंगल झाड़ गैर वन भूमि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना को निषुल्क एवं स्थायी रूप में हस्तांतरित की गई है। अपयोजन के शर्त्तों के अनुसार उक्त हस्तांतरित गैर वन भूमि को आरक्षित/सुरक्षित वन घोषित किया जाना है।

उक्त तथ्यों के आलोक में भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का XVI वॉ) की धारा 29 (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल उपरोक्त वर्णित 3.29 एकड़ (1.33 हे०) अनावाद बिहार सरकार किस्म जंगल झाड़ गैर वन भूमि, जिसकी विवरणी अनुसूची में दी गई है, को सुरक्षित वन घोषित करते है :–

**अनुसूची–**

| क्र० | मौजा का नाम | अंचल | थाना नाम एवं संख्या | खाता संख्या | खेसरा संख्या | क्षेत्रफल (एकड़ में) | किस्म |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | रोहतास, | रोहतास | 680 | 206 | 01 | 1.33 हे० | अनावाद बिहार सरकार किस्म जंगल झाड़ |
| | | | | | | **1.33 हे०** | |

(3.29 एकड अथवा 1.33 हे०)

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
**सुबोध कुमार चौधरी,** संयुक्त सचिव।

***The 6th June 2022***

No. Van bhoomi-45/2017--**427(E)**/E.F.C.C.—1.33 ha.of forest land has been diverted under the Forest (Conservation) Act, 1980 for construction of Rohtas Fort Ropeway in Rohtas District. As provided under the said Act, 3.29 acres (1.33 ha) of undisputed Anabad Bihar Sarkar kism Jungle in Thana No. 680, Khata No.206, Khesra No. 01, under Rohtas Circles of Rohtas district has been transferred by the Divisional Commissioner through their order-cum-memo no.-1618 dated-17.12.2016 to the department of Environment, Forest & Climate Change Dept. Bihar without fee on permanent basis in lieu of said diversion of forest land. As per condition for diversion, the said transferred non-forest Land has to be notification as Resere/Protected forest.

In the light of aforementioned facts, the Governor of Bihar in exercise of powers conferred by section 29(1) of the India Forest Act, 1927 (Act No. XVI of 1972) declare the said 3.29 acres (1.33 ha.) non-forest land, details of with is given in the Schedule, as Protected Forest (P.F) :-

| S.N. | Name of mauza | Circle | Thana number | Khata no | Khesara | Area in Acres | Kism |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rohtas | Rohtas | 680 | 206 | 01 | 1.33 ha. | Anabad Bihar Sarkar kism Jungle |
| | | | | | | 1.33 ha. | |

(3.29 acre. or 1.33 ha.)

By the order of Governor of Bihar,
Subodh Kumar Choudhary, Joint Secretary.

**1 जून 2022**

**सं0** बि०व०से०(स्था०)–07/2019(खंड)**–1787**/प०व०ज०प०––बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार, पटना के पत्रांक–7 सी०/परीक्षा–01–02/2019 (77) लो०से०आ०/गो०, दिनांक–18.02.2022 द्वारा बिहार वन सेवा अंतर्गत सहायक वन संरक्षक (मूल कोटि) के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित एवं विभागीय अधिसूचना संख्या–1130 दिनांक–04.04.2022 द्वारा सहायक वन संरक्षक के पद पर पुनरीक्षित लेवल–9 के वेतनमान में नियुक्त निम्नांकित सहायक वन संरक्षक को उनके नाम के सामने

अंकित तिथि से योगदान स्वीकृत करते हुए प्रशिक्षण Slot आने तक स्तम्भ–5 में अंकित कार्यालय में पदस्थापित किया जाता है :–

| क्र०सं० | नव नियुक्त सहायक वन संरक्षक का नाम | योगदान की तिथि | गृह जिला | पदस्थापन के निमित कार्यालय का नाम |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | श्री राजीव कुमार | 12.04.2022, पूर्वा० | सीतामढी | वन प्रमंडल पदाधिकारी, औरंगाबाद वन प्रमंडल, औरंगाबाद में पदस्थापित करते हुए उन्हें वन प्रमंडल, सासाराम में प्रतिनियुक्त किया जाता है। |

2. श्री राजीव कुमार, सहायक वन संरक्षक द्वारा उनके पद का प्रभार ग्रहण के पश्चात पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत अवधि का विनियमन किया जायेगा।

आदेश से,
**सुबोध कुमार चौधरी,** संयुक्त सचिव।

---

**9 जून 2022**

**सं0** बि०व०से०(स्था०)–07/2019**–1912**/प०व०ज०प०––बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार, पटना के पत्रांक–7 सी०/परीक्षा– 01–02/2019 (77) लो०से०आ०/गो०, दिनांक–18.02.2022 द्वारा बिहार वन सेवा अंतर्गत सहायक वन संरक्षक (मूल कोटि) के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित एवं विभागीय अधिसूचना संख्या–1130 दिनांक–04.04.2022 द्वारा सहायक वन संरक्षक के पद पर पुनरीक्षित लेवल–9 के वेतनमान में नियुक्त निम्नांकित सहायक वन संरक्षक के पदस्थापन से संबंधित विभागीय अधिसूचना संख्या–1630 दिनांक–20.05.2022 को रद्द करते हुए उनके नाम के सामने अंकित तिथि से योगदान स्वीकृत करते हुए प्रषिक्षण Slot आने तक स्तम्भ–5 में अंकित कार्यालय में पदस्थापित किया जाता है :–

| क्र०सं० | नव नियुक्त सहायक वन संरक्षक का नाम | योगदान की तिथि | गृह जिला | पदस्थापन के निमित कार्यालय का नाम |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | श्रीमती नुपुर सैनी | 29.04.2022, पूर्वा० | पटना | वन प्रमंडल पदाधिकारी, भोजपुर वन प्रमंडल, आरा। |

2. श्रीमती सैनी, सहायक वन संरक्षक द्वारा उनके पद का प्रभार ग्रहण के पश्चात पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत अवधि का विनियमन किया जायेगा।

आदेश से,
**सुबोध कुमार चौधरी,** संयुक्त सचिव।

---

## ग्रामीण विकास विभाग

---

### अधिसूचनाएं

**7 जून 2022**

सं0 ग्रा0वि0-14(नि0को0)गया-14/2016--983120---निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के गठित धावा दल द्वारा दिनांक-22.07.2016 को परिवादी अमित कुमार यादव से अभियुक्त श्री विनोद कुमार, तत्कालीन ग्रामीण विकास पदाधिकारी-सह- प्रभारी प्रखंड विकास पदाधिकारी, कोंच, गया द्वारा 20 हजार रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़े जाने एवं श्री कुमार के विरुद्ध निगरानी थाना कांड संख्या- 073/2016 दिनांक- 22.07.2016 के तहत प्राथमिकी दर्ज होने के गंभीर आरोप तथा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को राशि के भुगतान की प्रगति काफी धीमी होने, नारी मुक्ति स्वयंसिद्ध महिला विकास स्वाबलंबी समिति लिमिटेड, कोंच, गया के मतदाता सूची का प्रकाशन नहीं किये जाने के कारण निर्वाचन कार्य बाधित होने व बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, बिहार, पटना के आदेश संख्या- 3 दिनांक- 04.01.2016 का उल्लंघन करने जैसे आरोपों पर श्री कुमार के विरुद्ध आरोप पत्र गठित किया गया।

श्री कुमार के विरुद्ध दर्ज निगरानी थाना कांड संख्या- 073/2016 दिनांक- 22.07.2016 में विधि विभाग के आदेश संख्या- एस०पी०(नि०)18/2016 213/जे० दिनांक- 14.10.2016 द्वारा इनके विरुद्ध अभियोजन की स्वीकृति प्रदान की गयी ।

श्री कुमार के विरुद्ध धारित आरोप अत्यंत गंभीर प्रकृति के होने की स्थिति में वृहत् जांच हेतु विभागीय संकल्प संख्या- 375074 दिनांक- 18.06.2018 द्वारा श्री कुमार के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसमें विभागीय जांच आयुक्त को संचालन पदाधिकारी नामित किया गया ।

जांच आयुक्त-सह-सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक- 105 दिनांक- 28.04.2021 द्वारा उक्त विभागीय कार्यवाही में उपलब्ध कराये गये जांच प्रतिवेदन में श्री कुमार के विरुद्ध धारित सभी 5 आरोपों को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया ।

संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा से स्थापित होता है कि संचालन पदाधिकारी द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के संगत प्रावधानों के आलोक में अभियोजन पक्ष के गवाहों की गवाही ली गयी एवं मामले की विस्तृत एवं विधिवत् जाँच की गयी है और आरोप प्रमाणित पाये गये हैं।

उक्त परिप्रेक्ष्य में उक्त जांच प्रतिवेदन से अनुशासनिक प्राधिकार की सहमति के आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 18(3) के संगत प्रावधानों के तहत विभागीय पत्रांक- 512590 दिनांक- 04.08.2021 द्वारा श्री कुमार को जांच प्रतिवेदन की प्रति उपलब्ध कराते हुये लिखित अभ्यावेदन समर्पित करने का अवसर प्रदान किया गया।

श्री कुमार द्वारा तत्संबंध में समर्पित लिखित अभ्यावेदन दिनांक- 04.10.2021 के अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा समीक्षोपरांत पाया गया कि इनके द्वारा कोई नया तथ्य/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है ।

श्री कुमार के विरुद्ध गठित आरोप, आरोप पर श्री कुमार के बचाव का लिखित अभिकथन, विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन, जाँच प्रतिवेदन पर उनसे प्राप्त अभ्यावेदन, गवाहों की लिखित गवाही एवं अन्य साक्ष्य अभिलेखों के आलोक में मामले की समीक्षा पुन: की गयी जिसमें पाया गया कि श्री कुमार के विरुद्ध रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़े जाने का आरोप एवं प्रतिवेदित अन्य आरोप प्रमाणित हैं।

उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005, समय-समय पर यथा संशोधित के सुसंगत प्रावधान के तहत अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री विनोद कुमार, तत्कालीन ग्रामीण विकास पदाधिकारी-सह- प्रभारी प्रखंड विकास पदाधिकारी, कोंच, गया को पद का दुरूपयोग तथा भ्रष्ट आचरण के कदाचारपूर्ण कृत्य के प्रमाणित गंभीरतम आरोपों के लिये सेवा से बर्खास्त करने का निर्णय लिया गया।

अतएव सम्यक विचारोपरान्त श्री विनोद कुमार, तत्कालीन ग्रामीण विकास पदाधिकारी-सह-प्रभारी प्रखंड विकास पदाधिकारी, कोंच, गया के विरुद्ध पद का दुरूपयोग तथा भ्रष्ट आचरण के कदाचारपूर्ण कृत्य के प्रमाणित गंभीरतम आरोपों के लिये श्री कुमार को "सरकारी सेवा से बर्खास्तगी" का दंड अधिरोपित किया जाता है।

उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

**आदेश:-आदेश दिया जाता है कि अधिसूचना की प्रति सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।**

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
**बालामुरूगन डी0,** सचिव।

———————

**8 जून 2022**

सं0 R-503/2/2022-Section 14-RDD (COM No-150743--986474---श्री कुणाल कुमार, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, बेलसंड (सीतामढ़ी) सम्प्रति सहायक परियोजना पदाधिकारी, आरा (भोजपुर) के विरुद्ध ग्रामीण विकास पदाधिकारी-सह- प्रखंड विकास पदाधिकारी, फेनहारा (पूर्वी चम्पारण) के पद पर योगदान नहीं करने के कारण विभाग द्वारा आरोप गठित किया गया ।

ग्रामीण विकास विभाग द्वारा गठित आरोप पर श्री कुमार का स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया जिसमें प्रतिवेदित है कि अपनी पत्नी के इलाज हेतु मिलन अस्पताल, बैंगलोर में रहने के कारण नव पदस्थापित स्थान पर योगदान समर्पित नहीं किया गया ।

ग्रामीण विकास विभाग द्वारा प्रतिवेदित आरोप एवं आरोपी पदाधिकारी के स्पष्टीकरण की समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त पाया गया कि मिलन अस्पताल, बैंगलोर में इलाजरत रहने के कारण योगदान समर्पित नहीं किया गया ।

अतएव सम्यक विचारोपरांत श्री कुणाल कुमार, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, बेलसंड (सीतामढ़ी) सम्प्रति सहायक परियोजना पदाधिकारी, आरा (भोजपुर) को "भविष्य के लिये सचेष्ट" किया जाता है ।

उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है ।

**आदेश:--आदेश दिया जाता है कि अधिसूचना की प्रति सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय ।**

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
**बालामुरूगन डी0,** सचिव।

———————

**8 जून 2022**

सं0 ग्रा0वि0-14(पटना)पटना-02/2018:-986517--श्री नीरज कुमार राय, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, बिहटा (पटना) के विरुद्ध जिला पदाधिकारी, पटना के पत्रांक- 251 दिनांक-09.04.2018 द्वारा आरोप पत्र प्राप्त हुआ । उक्त आरोप पत्र में वर्णित आरोपों पर श्री राय द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण के समीक्षोपरांत विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक- 466402 दिनांक- 16.06.2021 द्वारा 'असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतन वृद्धि अवरुद्ध करने' का दंड अधिरोपित किया गया है ।

उक्त अधिरोपित दंड के विरुद्ध श्री राय द्वारा पुनर्विचार अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया । विभाग द्वारा पुनर्विचार अभ्यावेदन की समीक्षा की गयी । समीक्षोपरांत पाया गया कि श्री राय के पुनर्विचार अभ्यावेदन में कोई भी नया तथ्य अंकित नहीं किया गया है ।

अत: समीक्षोपरांत श्री राय के पुनर्विचार अभ्यावेदन को अस्वीकृत करते हुये इस मामले को संचिकास्त किया जाता है ।

उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

**आदेश:--आदेश दिया जाता है कि अधिसूचना की प्रति सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय ।**

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
**बालामुरूगन डी0,** सचिव।

———————

**8 जून 2022**

सं0 ग्रा0वि0-14(पटना)पटना-02/2019--**986534**–श्रीमती निवेदिता, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, पुनपुन, पटना के विरुद्ध जिला पदाधिकारी, पटना के पत्रांक- 618 दिनांक-13.06.2019 द्वारा आरोप पत्र प्राप्त हुआ। उक्त आरोप पत्र में वर्णित आरोपों पर श्रीमती निवेदिता द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण के समीक्षोपरान्त विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक-640047 दिनांक-24.11.2021 द्वारा 'असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतन वृद्धि अवरुद्ध करने' का दंड अधिरोपित किया गया है।

उक्त अधिरोपित दंड के विरुद्ध प्रखंड कार्यालय, राजनगर, मधुबनी के पत्रांक-2066 दिनांक 16.12.2021 के द्वारा पुनर्विचार अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया । विभाग द्वारा पुनर्विचार अभ्यावेदन की समीक्षा की गयी । समीक्षोपरांत पाया गया कि श्रीमती निवेदिता के पुनर्विचार अभ्यावेदन में कोई भी नया तथ्य अंकित नहीं किया गया है ।

अत: समीक्षोपरांत श्रीमती निवेदिता के पुनर्विचार अभ्यावेदन को अस्वीकृत करते हुये इस मामले को संचिकास्त किया जाता है ।

उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

**आदेश:-आदेश दिया जाता है कि अधिसूचना की प्रति सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय ।**

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
**बालामुरूगन डी0,** सचिव।

———————

**27 मई 2022**

सं0 ग्रा0वि0-14(सा0)सा0-02/2020--**956771**–श्री पंकज कुमार दीक्षित, ग्रामीण विकास पदाधिकारी-सह-प्रखंड विकास पदाधिकारी, सोनपुर, सारण के विरुद्ध जिला पदाधिकारी, सारण के पत्रांक 02(मु0)/सी दिनांक 06.06.2020 द्वारा विहित प्रपत्र में आरोप पत्र प्राप्त हुआ। आरोप पत्र में श्री दीक्षित के विरुद्ध अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने, आपदा प्रबंधन संबंधी कार्यों में रूचि नहीं लेने, COVID-19 के संक्रमण को रोकने संबंधी कार्यों में वरीय पदाधिकारी को प्रशासनिक सहयोग प्रदान न करने, लोक शिकायत निवारण अधिनियम के तहत् दायर परिवादों के निष्पादन में शिथिलता बरतने, मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना अंतर्गत नल-जल योजना एवं गली-नाली पक्कीकरण योजना की प्रगति में रूचि नहीं लेने के आरोप प्रतिवेदित किये गये हैं।

जिला पदाधिकारी, सारण के द्वारा प्रतिवेदित आरोपों पर श्री दीक्षित से प्राप्त स्पष्टीकरण एवं उक्त स्पष्टीकरण पर जिला पदाधिकारी, सारण के पत्रांक 4662 दिनांक 23.11.2020 से प्राप्त मंतव्य की विभाग द्वारा समीक्षा की गयी ।

समीक्षोपरान्त आरोपों की विस्तृत जॉच हेतु विभागीय संकल्प सं0- 373286 दिनांक 29.01.2021 द्वारा श्री दीक्षित को निलंबित करते हुए उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

श्री दीक्षित की निलंबन अवधि साढ़े सात माह से अधिक होने एवं इनके द्वारा समर्पित अभ्यावेदन दिनांक 09.06.2021 पर सम्यक विचारोपरान्त विभागीय पत्रांक- 568524 दिनांक-16.09.2021 द्वारा श्री दीक्षित को निलम्बन से मुक्त किया गया ।

संचालन पदाधिकारी, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक- 596852 दिनांक 08.10.2021 द्वारा श्री दीक्षित के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। संचालन पदाधिकारी द्वारा श्री दीक्षित के विरुद्ध धारित आरोप की क्रम संख्या- 3, 8, 11 एवं 12 में श्री दीक्षित को दोषी प्रतिवेदित किया गया।

विभागीय पत्रांक- 611296 दिनांक- 27.10.2021 द्वारा उक्त जाँच प्रतिवेदन की छायाप्रति श्री दीक्षित को उपलब्ध कराते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियामावली-2005 के नियम-18(3) के तहत श्री दीक्षित के लिखित अभ्यावेदन की मांग की गयी ।

तत्संबंध में श्री दीक्षित द्वारा समर्पित अभ्यावेदन दिनांक 21.01.2021 की अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त पाया गया कि इनके द्वारा समर्पित लिखित अभ्यावेदन में कोई भी नया तथ्य नहीं है। उक्त लिखित अभ्यावेदन को स्वीकारयोग्य नहीं पाया गया।

अतएव सम्यक् विचारोपरान्त श्री पंकज कुमार दीक्षित, ग्रामीण विकास पदाधिकारी-सह-प्रखंड विकास पदाधिकारी, सोनपुर, सारण सम्प्रति प्रखंड विकास पदाधिकारी, हवेली खड़गपुर, मुंगेर के द्वारा बरती गई

अनियमितता/लापरवाही के लिए इन्हें "असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतन वृद्धि अवरुद्ध" करने का दंड (निर्गत की तिथि से) अधिरोपित किया जाता है।

आदेश दिया जाता है कि दंड की प्रविष्टि श्री दीक्षित के सेवापुस्त में की जाय।

उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
**बालामुरूगन डी0,** सचिव।

---

## लघु जल संसाधन विभाग

---

### अधिसूचना

**3 जून 2022**

**सं० प्र०–01/ल०ज०सं०/स्था०(राज०)–37/2021–2677**––श्री संजीव नयन (पदनाम–कार्यपालक अभियन्ता/आई0डी0–असैनिक–5201/गृह जिला–सहरसा), कार्यपालक अभियन्ता लघु सिंचाई प्रमण्डल, अररिया (अतिरिक्त प्रभार–कार्यपालक अभियन्ता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, पूर्णियाँ) को अपने कार्यों के अतिरिक्त अगले आदेश तक कार्यपालक अभियन्ता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, किशनगंज का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है।

2. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा ।
3. इस संदर्भ में पूर्व में निर्गत आदेश/अधिसूचना के असंगत अंश इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे ।
4. उक्त पदाधिकारी अतिरिक्त प्रभार का प्रभार ग्रहण कर एक सप्ताह के अन्दर नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से प्रतिवेदन मुख्यालय को समर्पित करेंगें ।
5. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है ।

**बिहार–राज्यपाल के आदेश से,**
**गीता सिंह, उप सचिव।**

---

## गृह विभाग
## (विशेष शाखा)

---

### आदेश

**8 जून 2022**

सं0 एल/एच०जी०–14–06/2018–**5820**––बिहार गृह रक्षा वाहिनी के निम्नांकित परिवीक्ष्यमान जिला समादेष्टाओं (पुलिस उपाधीक्षक स्तर) की सेवा बिहार पुलिस मैनुअल के नियम 648(क) के आलोक में उनके नाम के सामने स्तंभ–4 में अंकित तिथि से सम्पुष्ट की जाती हैः–

| क्रम सं० | नाम/पदनाम | नियुक्ति की तिथि | सम्पुष्टि की तिथि |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | श्रीमती प्रभा कुमारी, जिला समादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, जहानाबाद | 07.01.2019 | 07.01.2022 |
| 2 | श्री अनिल कुमार वर्मा, जिला समादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, बगहा | 07.01.2019 | 07.01.2022 |

**आदेश से,**
**अनिमेश पाण्डेय, संयुक्त सचिव।**

---

**अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय**
**बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।**
**बिहार गजट, 13—571+10-डी0टी0पी0।**
**Website: http://egazette.bih.nic.in**

# भाग-9-ख

## निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि ।

### सूचना

No. 673—I, Pawan Kumar, S/O Brij Bihari Singh, R/o Birahima Bazar, P.S.- Baruraj, District-Muzaffarpur. Declared Vide Affidavit No. 2342 dated 28.03.2022 that now I will be known as Pawan Kumar Pratapi.

Pawan Kumar.

---

सं0 674––मैं अभिषेक कुमार मिश्रा, पिता– सुधीर मिश्रा, सा0–महमदपुर लालसे, पो0–महमदपुर बदल, थाना–सकरा, जिला–मुजफ्फरपुर का स्थायी निवासी हूँ। मेरे मैट्रिक प्रमाणपत्र, निबंधन संख्या– 631–23/5671 वर्ष 1995 में मेरा उपनाम "मिश्रा" शब्द छोड़ दिया गया है। दरअसल अभिषेक कुमार मिश्रा ही मेरा सही नाम है। शपथपत्र सं0– 8340, दिनांक– 03/03/2022 है।

अभिषेक कुमार मिश्रा।

No. 674—I Abhishek Kumar Mishra, S/O- Sudhir Mishra R/O- Vill-Mahmadpur Lalse, P.O-Mahmadpur Badal, P.S-Sakra, Dist-Muzaffarpur (Bihar) Suffer Ommission of Sir Name "Mishra" in matric Certificate, my matric registration certificate no. is 631-23/5671 and year 1995. My name should be Abhishek Kumar Mishra. Affidavit no.-8340, dated 03/03/2022.

Abhishek Kumar Mishra.

---

No. 675—I, SHAESTA Rahman W/o Md. Ataur Rahman Village-Handipokhar, P.O. Padampur, P.S.-Dighalbank, Dist.-Kishanganj (Bihar) vide affidavit no. 16759/2022 dated 17.5.2022 will be known as Shaistah Rahman.

SHAESTA Rahman.

---

No. 676—I, ANAND RAJ, S/O Braj Kishore Singh, R/O Paigambarpur Kolhua, P.S. Ahiyapur, Distt.-Muzaffarpur Permanently Resident of Chamrahra P.S. Mahnar Distt. Vaishali Declare Vide Affidavit No. 2575 dated 06/04/2022 that now I will be known as ANAND RAJ SINGH.

ANAND RAJ.

---

सं0 687––मैं, मांडवी कुमारी, पिता–राकेश कुमार, निवासी–तुलसी मंडी अनुराधा वस्त्रालय, पो. गुलजारबाग, थाना–आलमगंज, पटना बिहार। शपथ पत्र सं.–290/3.6.2022 द्वारा सूचित करती हूं कि मेरे शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र में मेरा नाम कुमारी मांडवी है। मेरे आधार कार्ड नं. –421437752442 में मेरा नाम मांडवी कुमारी दर्ज है। दोनों नाम मेरा ही है। अब मैं सभी जगह मांडवी कुमारी के नाम से जानी व पहचानी जाऊंगी।

मांडवी कुमारी।

---

सं0 688––मैं, रोबिन अन्थोनी परित पिता एंथोनी सेल्यास्टीन, साकिन– क्रिश्चन क्वार्टर, पोस्ट + थाना– बेतिया नगर जिला प. चंपारण का निवासी हूं। मेरे पुत्र बोनिश रोबिन के सीबीएसई 10वीं वर्ग– 2021 के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में पिता का उपनाम परित दर्ज नहीं है। पुत्र का रौल नं. 22224528, स्कूल कोड– 65003 है। मेरे पुत्र के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में मेरा उपनाम परित जोड़ा जाए। शपथ पत्र सं. 1365/21.1.22.

रोबिन अन्थोनी परित।

No. 688—I AM Robin Anthony Parit S/O Anthoni Selyastin, Residing at Christian Quarters P.S Bettiah Nagar, West Champaran. My title 'Parit' is not mentioned in the Certificate of my son Bonnish Robin CBSE Class10 2021. Roll no. 22224528, School code 65003. It is Essential to add Parit in his Father's name i.e Robin Anthony Parit. Affidavit no. 1365/21.1.2022

Robin Anthony Parit.

---

सं0 695––मैं सुनीता सिन्हा, पति–श्री अमरेन्द्र कुमार, पता–स्वामी विवेकानन्द नगर (बंगाली कॉलोनी) पो0–बेगमपुर, थाना–चौक, जिला–पटना 800009 बिहार शपथ पत्र संख्या–7611 दिनांक 07.06.2022 के अनुसार घोषणा करती हूँ कि मेरे पुत्र के विभिन्न दस्तावेजों में ओम अंकित हो गया है, जिसे सुधार कर ओम सिन्हा किया गया है। अब वो ओम सिन्हा के नाम से जाना व पहचाना जायेगा।

सुनीता सिन्हा।

---

**अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय**
**बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।**
**बिहार गजट, 13—571+10-डी0टी0पी0।**
**Website: http://egazette.bih.nic.in**

# बिहार गजट
# का
# पूरक(अ0)
# प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित

**सं0 08/आरोप–01–83/2017,सा.प्र०–6187**
**सामान्य प्रशासन विभाग**

**संकल्प**
**22 अप्रील 2022**

श्री वीरेन्द्र कुमार, (बि०प्र०से०), कोटि क्रमांक–1432/11, तत्कालीन परीक्ष्यमान उप समाहर्त्ता, मुंगेर सम्प्रति भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, नवादा सदर के विरूद्ध केन्द्रीय परीक्षा समिति, राजस्व पर्षद्, बिहार, पटना द्वारा आयोजित राजपत्रित पदाधिकारियों की द्वितीय अर्द्धवार्षिक परीक्षा–2011 में दिनांक 02.02.2012 को कदाचार के लिए निष्कासित किया गया। एतद्संबंधी आरोप पर कार्रवाई हेतु राजस्व पर्षद्, बिहार, पटना के पत्रांक–173 दिनांक 21.02.2012 द्वारा आरोप, प्रपत्र 'क' उपलब्ध कराया गया। विभागीय पत्रांक–3647 दिनांक 06.03.2012 द्वारा आरोपित पदाधिकारी से स्पष्टीकरण माँगी गयी, जिसके अनुपालन में उन्होंने स्पष्टीकरण दिनांक 26.03.2012 समर्पित किया। सम्यक् विचारोपरांत आरोपों की वृहत जाँच हेतु बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियमावली–2005 के नियम 17 (2) के प्रावधानों के तहत सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प ज्ञापांक–15516, दिनांक 09.11.2012 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में श्री कुमार के विरूद्ध गठित आरोप प्रमाणित बताया गया। तदुपरांत विभागीय पत्रांक–14799 दिनांक 22.11.2017 के क्रम में श्री कुमार का लिखित अभिकथन/अभ्यावेदन (दिनांक 07.12.2017) प्राप्त हुआ। जिसमें उन्होंने स्वयं के विरूद्ध लगाये गये कदाचार के आरोपों का प्रतिकार करते हुए यह उल्लेख किया कि वीक्षक की अनुमति से वे प्रसाधन उपयोग हेतु गये थे। वापस आने पर उनके टेबुल पर पुस्तक पाये जाने के कारण कदाचार के लिए उन्हें निष्कासित कर दिया गया। जबकि आरोप, जाँच प्रतिवेदन एवं श्री कुमार के लिखित अभिकथन/स्पष्टीकरण की समीक्षा में यह पाया गया कि विभागीय परीक्षा में कदाचार करते हुए पकड़े जाने के समय ही उत्तर पुस्तिका पर निष्कासन संबंधी प्रविष्टि अंकित कर उन्हें अन्य विषयों की परीक्षा देने से वंचित कर दिया गया था। इस आलोक में श्री कुमार के विरूद्ध विनिश्चित दंड यथा, (i) 03 वेतन वृद्धियों पर संचयात्मक प्रभाव से रोक एवं (ii) 03 वर्षो तक प्रोन्नति पर रोक (प्रोन्नति देयता की तिथि से), पर विभागीय पत्रांक–3853 दिनांक 20.03.2018 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग से सहमति माँगी गयी। आयोग के पत्रांक–1273 दिनांक 03.08.2018 द्वारा उक्त विनिश्चित दंड को अनुपातिक नहीं बताया गया।

इसके पश्चात् विभागीय स्तर पर पुनः सुसंगत अभिलेख (आरोप पत्र, जाँच प्रतिवेदन एवं स्पष्टीकरण) की समीक्षा की गयी। इस आधार पर यह पाया गया की आयोग द्वारा संदर्भित विनिश्चित दंड को अनुपातिक नहीं बताये जाने का कोई कारण नहीं दर्शाया गया है। जबकि जाँच प्रतिवेदन में साक्ष्य और प्रतिपरीक्षण के आलोक में श्री कुमार के विरूद्ध कदाचार का आरोप प्रमाणित बताया गया है। परीक्षा कक्ष में राजस्व पर्षद के तत्कालीन सचिव द्वारा उक्त कदाचार के लिए संबंधित वीक्षक को कार्रवाई का निदेश भी दिया गया था, जिसके आधार पर आरोपित पदाधिकारी की उत्तर पुस्तिका पर निष्कासन संबंधी प्रविष्टि अंकित की गयी तथा वे अन्य विषयों की परीक्षा से वंचित कर दिये गये। इस प्रकार श्री कुमार के विरूद्ध कदाचार से संबंधित गम्भीर प्रकृति के आरोप प्रमाणित एवं विनिश्चित दंड को औचित्यपूर्ण पाये जाने के आधार पर बिहार लोक सेवा आयोग के परामर्श को स्वीकार योग्य नहीं पाया गया। सम्यक विचारोपरांत विभागीय संकल्प ज्ञापांक–12113 दिनांक 10.09.2018 द्वारा श्री वीरेन्द्र कुमार, (बि०प्र०से०), कोटि क्रमांक–1432/11 के विरूद्ध (i) तीन वेतन वृद्धियों पर संचयात्मक प्रभाव रोक एवं (ii) तीन वर्षो तक प्रोन्नति पर रोक (प्रोन्नति देयता की तिथि से) का दंड/शास्ति अधिरोपित एवं संसूचित की गयी।

श्री कुमार द्वारा विभागीय संकल्प ज्ञापांक–12113 दिनांक 10.09.2018 द्वारा अधिरोपित दंडादेश पर पुनर्विचार हेतु अभ्यावेदन (पत्रांक–458 दिनांक 16.03.2022) समर्पित किया गया, जिसकी समीक्षा विभागीय स्तर पर की गयी एवं पाया गया कि श्री कुमार के विरूद्ध दंड संसूचित हुए तीन वर्ष से अधिक की अवधि व्यतीत हो चुका है। जबकि बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम–25 के अनुसार 45 दिनों के अन्दर ही अपील किया जाना है। निर्धारित

अवधि के अन्दर श्री कुमार द्वारा अपील/पुनर्विचार आवेदन समर्पित नहीं किये जाने के कारण उनका अपील/पुनर्विचार आवेदन विचारणीय नहीं है, अतः इसे अस्वीकृत किया जाता है।

**आदेशः–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।**

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
**मो0 सिराजुद्दीन अंसारी,** अवर सचिव।

---

**सं0 08/आरोप–01–25/2021 सा०प्र०–6402**

---

**27 अप्रील 2022**

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–5009 दिनांक 24.11.2021 द्वारा श्री संतोष कुमार, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक–522/11, तत्कालीन जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, मुजफ्फरपुर के विरूद्ध संबद्ध मिलरों से नियमानुसार बैंक गारन्टी/Deed of Pledge प्राप्त नहीं किये जाने संबंधी कतिपय आरोप प्रतिवेदित करते हुए अनुशासनिक कार्रवाई का अनुरोध किया गया।

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग से प्राप्त आरोप पत्र के आलोक में विभागीय स्तर पर आरोपों को पुनर्गठित करते हुए अनुशासनिक प्राधिकार के अनुमोदनोपरांत विभागीय पत्रांक 16000 दिनांक 16.12.2021 द्वारा श्री कुमार से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। श्री कुमार से पूछा गया स्पष्टीकरण डाक विभाग द्वारा बिना तामिला के वापस कर दिया गया। तत्पश्चात जिला पदाधिकारी को स्पष्टीकरण का पत्र भेजते हुए श्री कुमार को तामिला कराने का अनुरोध किया गया। जिला पदाधिकारी, रोहतास के पत्रांक–188 दिनांक 17.02.2022 द्वारा सूचित किया गया कि स्पष्टीकरण का पत्र श्री कुमार को दिनांक 17.02.2022 को तामिला करा दिया गया है। परन्तु निर्धारित समयावधि व्यतीत होने के पश्चात भी श्री कुमार द्वारा स्पष्टीकरण का जबाव समर्पित नहीं किया गया।

तदुपरांत मामले की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर की गयी एवं पाया गया कि श्री कुमार के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप वित्तीय अनियमितता से संबंधित है एवं उनके द्वारा पत्र प्राप्ति के पश्चात भी स्पष्टीकरण का जबाव समर्पित नहीं किया जा रहा है। अतएव श्री संतोष कुमार, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक–522/11, तत्कालीन जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, मुजफ्फरपुर सम्प्रति जिला प्रबंधक, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम, रोहतास के विरूद्ध गठित आरोपों की वृहद/विस्तृत जाँच बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के नियम–17 (2) के प्रावधानों के तहत कराने का निर्णय अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा लिया गया है। इस विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी, मुख्य जाँच आयुक्त, बिहार, पटना तथा प्रस्तुतीकरण/उपस्थापन पदाधिकारी खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना द्वारा नामित कोई वरीय पदाधिकारी होगें।

श्री कुमार से अपेक्षा की जाती है वे अपना बचाव बयान/पक्ष संचालन पदाधिकारी के समक्ष समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे एवं जैसा की संचालन पदाधिकारी अनुमति दे, उनके समक्ष स्वयं उपस्थित होगें।

**आदेशः–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।**

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
**मो0 सिराजुद्दीन अंसारी,** अवर सचिव।

---

**सं0 08/आरोप–01–06/2020, सा०प्र०–7048**

---

**11 मई 2022**

श्री विष्णुदेव मंडल, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक–1392/11, तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी, दलसिंहसराय, समस्तीपुर के विरूद्ध राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आच्छादित लाभुकों का आधार संग्रहण के पश्चात e-PDS पोर्टल पर डाटा अपलोड किये जाने हेतु बार–बार निदेश दिये जाने के बावजूद निर्धारित समय सीमा के उपरांत भी उक्त डाटा अपलोड नहीं कराये जाने, विभाग द्वारा राशन कार्ड निर्मित करने, Blank Aadhaar का कार्य करने एवं पात्र लाभुकों के बैंक खाता की प्रविष्टी सहयोग पोर्टल पर करने हेतु निर्धारित लक्ष्य को पूर्ण नहीं करने से संबंधित आरोपों के लिए खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–2139 दिनांक 20.05.2020 द्वारा आरोप पत्र अनुशासनिक कार्रवाई हेतु प्राप्त हुआ।

उक्त के आधार पर विभागीय स्तर पर पुनर्गठित एवं अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा अनुमोदित आरोप पत्र की प्रति संलग्न करते हुए विभागीय पत्रांक–1834 दिनांक 10.02.2021 द्वारा श्री मंडल से स्पष्टीकरण की माँग की गयी। उक्त के क्रम में श्री मंडल का स्पष्टीकरण (दिनांक 08.09.2021) प्राप्त हुआ। श्री मंडल से प्राप्त स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक–12053 (ए०) दिनांक 08.10.2021 द्वारा खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग से मंतव्य की माँग की गयी।

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के पत्रांक–289 दिनांक 28.01.2022 द्वारा मंतव्य प्राप्त हुआ, जिसमें श्री मंडल के विरूद्ध प्रतिवेदित उक्त आरोपों के आलोक में उनके विरूद्ध की जा रही अनुशासनिक कार्रवाई को चेतावनी के साथ निष्पादित करने की अनुशंसा सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा की गयी।

श्री मंडल के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, उनसे प्राप्त स्पष्टीकरण एवं खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग से प्राप्त मंतव्य/अनुशंसा की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार के द्वारा की गयी। समीक्षोपरांत खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग से प्राप्त मंतव्य के आलोक में अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा "चेतावनी" संसूचित करने का निर्णय लिया गया।

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में श्री विष्णुदेव मंडल, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक–1392/11, तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी, दलसिंहसराय, समस्तीपुर सम्प्रति विशेष कार्य पदाधिकारी, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग, कल्याण विभाग के स्पष्टीकरण पर खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग से प्राप्त मंतव्य/अनुशंसा के आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय समय पर यथा संशोधित) के नियम–19 के प्रावधानों के तहत नियम–14 के स्पष्टीकरण (3) में उल्लेखित **"चेतावनी"** संसूचित किया जाता है।

**आदेशः–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।**

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
**मो0 सिराजुद्दीन अंसारी,** अवर सचिव।

---

**सं0 08/आरोप–01–49/2016 सा०प्र०–7528**

---

**19 मई 2022**

श्री विमल कुमार सिंह, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक–1029/2011 के विरूद्ध भूमि सुधार उप समाहर्त्ता–सह–जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, गोपालगंज के पदस्थापन काल में विभिन्न परियोजनाओं के लिए अधिग्रहित भूमि का मुआवजा भुगतान हेतु प्राप्त राशि को व्यय नहीं करने, भू–अर्जन पदाधिकारी के रूप में अधिसूचित होने के बावजूद भू–अर्जन संबंधी कार्यो में रूचि नहीं लेने एवं विभिन्न परियोजनाओं के क्रियान्वयन के समीक्षोपरांत त्वरित गति से कार्य किये जाने का निदेश देने के पश्चात भी भू–अर्जन संबंधी कार्यो में किसी प्रकार की अपेक्षित प्रगति नहीं होने संबंधी आरोप पत्र जिला पदाधिकारी, गोपालगंज के पत्रांक 159 दिनांक 19.01.2017 द्वारा कार्रवाई हेतु प्राप्त हुआ।

उक्त प्रतिवेदित आरोप पत्र की प्रति संलग्न करते हुए श्री सिंह से विभागीय पत्रांक–2253 दिनांक 23.02.2017 द्वारा स्पष्टीकरण माँग की गयी। उक्त के क्रम में श्री सिंह द्वारा अपना स्पष्टीकरण पत्रांक 219 दिनांक 27.03.2017 समर्पित किया गया। विभागीय पत्रांक 4849 दिनांक 24.04.2017 द्वारा श्री सिंह से प्राप्त स्पष्टीकरण पर जिला पदाधिकारी, गोपालगंज से मंतव्य की मांग की गयी। जिला पदाधिकारी, गोपालगंज के पत्रांक 4175 दिनांक 23.12.2017 द्वारा मंतव्य प्राप्त हुआ, जिसमें उनके स्पष्टीकरण को विचारणीय एवं स्वीकार करने योग्य बताया गया।

समीक्षोपरांत उक्त प्रतिवेदित आरोप पत्र के आधार पर विभागीय स्तर पर पुनर्गठित एवं अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा अनुमोदित आरोप पत्र (साक्ष्य सहित) की प्रति संलग्न करते हुए विभागीय पत्रांक 6299 दिनांक 30.06.2021 द्वारा श्री सिंह से पुनः स्पष्टीकरण की मांग की गयी। उक्त के आलोक में श्री सिंह का स्पष्टीकरण पत्रांक 393 दिनांक 24.07.2021 प्राप्त हुआ। श्री सिंह के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप उनसे प्राप्त स्पष्टीकरण एवं जिला पदाधिकारी, गोपालगंज से प्राप्त मंतव्य की प्रति संलग्न करते हुए विभागीय पत्रांक 8545 दिनांक 10.08.2021 द्वारा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से मंतव्य की मांग की गयी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पत्रांक 702 दिनांक 01.10.2021 द्वारा मंतव्य प्राप्त हुआ। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा जिला पदाधिकारी गोपालगंज से प्राप्त मंतव्य पर सहमति व्यक्त किया गया।

श्री सिंह के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, उनसे प्राप्त स्पष्टीकरण, जिला पदाधिकारी, गोपालगंज तथा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से प्राप्त मंतव्य की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गयी। समीक्षोपरांत अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा पाया गया कि श्री सिंह द्वारा अपने दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही बरती गयी। विभिन्न कार्यो के बोझ होने के कारणों का उल्लेख करते हुए भू–अर्जन जैसे महत्वपूर्ण कार्य में गति नहीं पकड़ने एवं एक बड़ी राशि मुआवजा भुगतान हेतु लंबित रहना अपने आप में आरोपित पदाधिकारी की लापरवाही एवं सौपे गये दायित्वों के निर्वहन में अनदेखी करने के आरोप को प्रमाणित करता है। श्री सिंह ने अपने स्पष्टीकरण में अधीनस्थ कर्मियों की शिथिलता एवं स्वेच्छाचारिता को बचाव का आधार बनाया है, जो मान्य नहीं है क्योंकि ऐसे अधीनस्थ कर्मियों के विरूद्ध उन्होंने कोई अनुशासनिक कार्रवाई भी नहीं की। यह आरोपी पदाधिकारी की ही प्रशासनिक विफलता कही जाएगी। भूधारियों का भुगतान नहीं होने के कारण सरकार की कई योजनाओं का कार्य प्रभावित हुआ। इनकी शिथिलता एवं कर्त्तव्यहीनता के कारण समय पर राजमार्ग जैसे महत्वपूर्ण पथों का निर्माण नहीं हो सका। अतः श्री सिंह का स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं है।

अतएव उनके विरूद्ध लापरवाही एवं कर्त्तव्यहीनता का आरोप प्रमाणित होता है। उक्त प्रमाणित आरोपों के लिए संकल्प ज्ञापांक–4599 दिनांक 26.03.2022 द्वारा श्री विमल कुमार सिंह, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक–1029/2011 तत्कालीन भूमि सुधार उप समाहर्त्ता–सह–जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, गोपालगंज के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम–19 के संगत प्रावधानों के तहत नियम–14 में उल्लिखित निम्नांकित दंड अधिरोपित एवं संसूचित किया गया है :–

(i) निन्दन (आरोप वर्ष–2015–16)

(ii) असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतनवृद्धि पर रोक।

उक्त दंडादेश के विरूद्ध श्री सिंह द्वारा अपना पुनर्विचार/पुनर्विलोकन अभ्यावेदन (दिनांक 08.04.2022) समर्पित किया गया। जिसकी समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गयी एवं पाया गया कि श्री सिंह द्वारा अपने पुनर्विचार/पुनर्विलोकन अभ्यावेदन में किसी नये तथ्य का उल्लेख नहीं किया गया है, बल्कि ए0सी0आर0 को आधार बनाया

गया है तथा कर्मियों की कमी के वाबजूद काम कराये जाने एवं उनके विरूद्ध कार्रवाई करने का उल्लेख किया गया है, जिसका उल्लेख उनके द्वारा पूर्व में समर्पित स्पष्टीकरण में भी किया गया था। जिसकी समीक्षा के उपरांत अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा उक्त दंड अधिरोपित एवं संसूचित किया गया है। अतएव अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री सिंह का पुनर्विचार/पुनर्विलोकन अभ्यावेदन स्वीकार योग्य नहीं पाया गया है।

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में श्री सिंह का पुनर्विचार/पुनर्विलोकन अभ्यावेदन को अस्वीकृत करते हुए विभागीय संकल्प ज्ञापांक–4599 दिनांक 26.03.2022 द्वारा अधिरोपित दंड ''(i) निन्दन (आरोप वर्ष–2015–16) (ii) असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतनवृद्धि पर रोक'' को पूर्ववत् बरकरार रखा जाता है।

**आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।**

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
**मो0 सिराजुद्दीन अंसारी,** अवर सचिव।

---

**सं0 08/आरोप–01–07/2020, सा०प्र०–8104**

---

**26 मई 2022**

श्री संजीव कुमार, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक–1396/11, तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी, सिवान के विरूद्ध राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आच्छादित लाभुकों का आधार संग्रहण के पश्चात e-PDS पोर्टल पर डाटा अपलोड किये जाने हेतु बार–बार निदेश दिये जाने के बावजूद निर्धारित समय सीमा के उपरांत भी उक्त डाटा अपलोड नहीं कराये जाने, विभाग द्वारा राशन कार्ड निर्मित करने, Blank Aadhaar का कार्य करने एवं पात्र लाभुकों के बैंक खाता की प्रविष्टी सहयोग पोर्टल पर करने हेतु निर्धारित लक्ष्य को पूर्ण नहीं करने से संबंधित आरोपों के लिए खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–2139 दिनांक 20.05.2020 द्वारा आरोप पत्र अनुशासनिक कार्रवाई हेतु प्राप्त हुआ।

उक्त के आधार पर विभागीय स्तर पर पुनर्गठित एवं अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा अनुमोदित आरोप पत्र की प्रति संलग्न करते हुए विभागीय पत्रांक–2108 दिनांक 17.02.2021 द्वारा श्री कुमार से स्पष्टीकरण की माँग की गयी। उक्त के क्रम में श्री कुमार का स्पष्टीकरण (दिनांक 21.09.2021) प्राप्त हुआ। श्री कुमार से प्राप्त स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक–12857 दिनांक 29.10.2021 द्वारा खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग से मंतव्य की माँग की गयी।

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के पत्रांक–423 दिनांक 07.02.2022 द्वारा मंतव्य प्राप्त हुआ, जिसमें श्री कुमार के विरूद्ध प्रतिवेदित उक्त आरोपों के आलोक में उनके विरूद्ध की जा रही अनुशासनिक कार्रवाई को चेतावनी के साथ निष्पादित करने की अनुशंसा सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा की गयी।

श्री कुमार के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, उनसे प्राप्त स्पष्टीकरण एवं खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग से प्राप्त मंतव्य/अनुशंसा की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार के द्वारा की गयी। समीक्षोपरांत खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग से प्राप्त मंतव्य/अनुशंसा के आलोक में अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा **''चेतावनी''** संसूचित करने का निर्णय लिया गया।

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में श्री संजीव कुमार, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक–1396/11, तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी, सिवान के स्पष्टीकरण पर खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग से प्राप्त मंतव्य/अनुशंसा के आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय समय पर यथा संशोधित) के नियम–19 के प्रावधानों के तहत नियम–14 के स्पष्टीकरण (3) में उल्लेखित **''चेतावनी''** संसूचित किया जाता है।

**आदेशः–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।**

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
**मो0 सिराजुद्दीन अंसारी,** अवर सचिव।

---

**सं0 08/आरोप–01–10/2017,सा०प्र०–8462**

---

**30 मई 2022**

श्री सुबोध कुमार, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक–1176/11, तत्कालीन अचंलाधिकारी, राजगीर, नालन्दा के विरूद्ध वर्ष–2010–11 में मलमास मेला राजगीर का सुरक्षित जमा राशि 68,13,750.00/–(अड़सठ लाख तेरह हजार सात सौ पचास) रूपया के विरूद्ध मो0 1,25,51,000.00/–(एक करोड़ पच्चीस लाख एकावन हजार) रूपया में बंदोबस्ती की स्वीकृति प्रदान करने, बन्दोबस्ती के उपरांत स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन शुल्क की वसूली नहीं किये जाने एवं बन्दोबस्तदार से वसूली की कार्रवाई नहीं किये जाने संबंधी आरोप पत्र राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–114 दिनांक 03.02.2017 एवं समाहर्त्ता, नालन्दा के पत्रांक–1313 दिनांक 12.05.2018 द्वारा आरोप पत्र अनुशासनिक कार्रवाई हेतु उपलब्ध प्राप्त हुआ।

प्राप्त आरोप पत्र के आधार पर विभागीय स्तर पर आरोप पत्र गठित करते हुए अनुशासनिक प्राधिकार के अनुमोदनोंपरांत विभागीय पत्रांक–6842 दिनांक 24.07.2020 द्वारा श्री कुमार से स्पष्टीकरण की माँग की गयी, जिसके क्रम में श्री कुमार द्वारा अपना स्पष्टीकरण (पत्रांक–शुन्य दिनांक 16.09.2020) समर्पित किया गया, जिसमें उनके द्वारा कहा गया कि बन्दोबस्तदार से राशि की वसूली दायित्व उनके अनुवर्ती पदाधिकारियों का है। श्री कुमार से प्राप्त स्पष्टीकरण की प्रति संलग्न

करते हुए विभागीय पत्रांक–914 दिनांक 21.01.2021 द्वारा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना से उनके स्पष्टीकरण पर मंतव्य की माँग की गयी। उक्त के आलोक में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–511 दिनांक 10.08.2021 द्वारा मंतव्य प्राप्त हुआ।

श्री कुमार के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, श्री कुमार का स्पष्टीकरण एवं प्राप्त मंतव्य की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर की गयी। समीक्षोपरांत पाया गया कि अपर समाहर्त्ता, नालन्दा के पत्रांक–39 (मु०) दिनांक 20.03.2010 में स्पष्टतः निदेश दिया गया है, कि प्रश्नगत सैरात का सक्षम स्वीकृति की प्रत्याशा में औपबंधिक परवाना निर्गत किया जाय एवं निर्धारित स्टाम्प शुल्क तथा निबंधन शुल्क प्राप्त कर दो दिनों के अन्दर एकरारनामा करा लिया जाय। डाक की आधी राशि बन्दोबस्तीदार को परवाना निर्गत करने की तिथि से 10 दिनों के अन्दर वसूल कर वांछित अनुपालन प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित करने का आदेश है साथ ही यह सरकारी राशि की क्षति नहीं होना चाहिए इसकी जिम्मेवारी उनकी होगी का उल्लेख है।

राजगीर मलमास मेला वर्ष–2010–11 की बन्दोबस्ती मो०1,25,51,000.00/–(एक करोड़ पच्चीस लाख एकावन हजार) रूपया पर डाक की स्वीकृति प्रदान की गयी थी। बन्दोबस्तदार द्वारा कुल राशि का 50 प्रतिशत राशि अंचल नजारत, राजगीर में जमा कर दिया गया था। डाक की शेष आधी राशि को परवाना निर्गत करने की तिथि से 10 दिनों के अन्दर वसूल किया जाना था, जो कि श्री कुमार के पदस्थापन अवधि दिनांक 04.04.2010 तक जमा नहीं किया गया। अभिलेखों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि राशि की वसूली हेतु श्री कुमार द्वारा कोई प्रयास नहीं किया गया। बन्दोबस्तदार को कोई नोटिस तक जारी नहीं किया गया, जो उनके लापरवाही, कर्त्तव्यहीनता एवं स्वेच्छाचारिता का द्योतक है। श्री कुमार का यह कृत्य बिहार आचार नियमावली–1976 के नियम–3 (1) के संगत प्रावधानों के प्रतिकूल है।

उपुर्यक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में श्री सुबोध कुमार, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक–1176/11, तत्कालीन अचंलाधिकारी, राजगीर, नालन्दा का स्पष्टीकरण अस्वीकार करते हुए विभागीय संकल्प ज्ञापांक–16570 दिनांक 29.12.2021 द्वारा निम्नांकित दंड अधिरोपित एवं संसूचित किया गया :–

(i) निन्दन (आरोप वर्ष 2010–11) तथा

(ii) दो वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक।

उक्त दंडादेश के विरूद्ध श्री कुमार द्वारा पुनर्विलोकन आवेदन समर्पित किया गया। जिसकी समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर की गयी। सम्यक समीक्षोपरांत पाया गया कि श्री कुमार द्वारा पुनर्विलोकन आवेदन में जिन तथ्यों/बातों का उल्लेख किया गया है, उन तथ्यों/बातों का उल्लेख उनके द्वारा अपने स्पष्टीकरण में भी किया गया था, जिसकी समीक्षा के क्रम में अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा पाया गया कि राजगीर मलमास मेला वर्ष–2010–11 की बन्दोबस्ती 1,25,51,000/रू० पर डाक की स्वीकृति प्रदान की गयी थी। बन्दोबस्तीदार द्वारा कुल राशि का 50% राशि 62,75,500/–रू० नाजिर रसीद सं०–766801 दिनांक 15.03.2010 से अंचल नजारत, राजगीर में जमा करा दिया गया। शेष डाक की आधी राशि को परवाना निर्गत करने की तिथि 10 दिनों के अन्दर राशि वसूल किया जाना था। श्री कुमार के पदस्थापन अवधि दिनांक 04.04.2010 तक उक्त राशि जमा नहीं किया गया। उनके द्वारा उक्त राजस्व की वसूली के संबंध में अभिलेखों के अवलोकन का कोई प्रयास नहीं किया गया। उनके द्वारा राशि वसूली हेतु बन्दोबस्तीदार को कोई नोटिस तक जारी नहीं किया गया। बन्दोबस्ती की तिथि 15.03.2010 के उपरांत आदेश लिखे जाने की तिथि 31.03.2010 से उनके पदस्थापन की अन्तिम तिथि 04.04.2010 तक उक्त बन्दोबस्ती की शेष राशि को जमा कराये जाने हेतु प्रयास नहीं किया गया।

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में श्री कुमार के पुनर्विलोकन आवेदन को अस्वीकृत करते हुए अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा अधिरोपित दडं **''निन्दन एवं दो वेतनवृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक''** को पूर्ववत् बरकरार रखा जाता है।

**आदेशः–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।**

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
**मो0 सिराजुद्दीन अंसारी,** अवर सचिव।

---

**अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय**
**बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।**
**बिहार गजट, 13—571+10-डी0टी0पी0।**
**Website: http://egazette.bih.nic.in**